श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110016

रिसर्च पॉलिसी

(Research Policy)

सत्यापित
VERIFIED

Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि–विनियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड)–विनियम, 2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1956 का 3) की धारा 26 की उप–धारा (1) के अनुच्छेद (च) एवं (छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी विनियम 2022 के अनुपालन में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विद्यावारिधि हेतु निम्नलिखित नियम निर्धारित किये गये हैं।

1.0. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1.1 इन विनियमों को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) विद्यावारिधि (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड)–विनियम, 2022 कहा जाएगा।

1.2. विश्वविद्यालय की शोध उपाधि का नाम 'विद्यावारिधि (पीएच.डी.)' होगा। इस उपाधि की स्पष्टता के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित–प्रारूप में निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र में आंग्लभाषा में पीएच.डी. (Doctor of Philosophy) लिखा जायेगा। प्रमाणपत्र का प्रथमभाग संस्कृत में और द्वितीयभाग अंग्रेजी में होगा। प्रमाणपत्र में शोधशीर्षक और विषय का उल्लेख किया जायेगा। प्रमाणपत्र में यह भी उल्लिखित होगा कि विद्यावारिधि की उपाधि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप' प्रदान की जा रही है।

1.3 ये विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि 07.11.2022 से लागू माना जाएगा।

2.0. विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम में पात्रता मानदंडः–

2.1 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश–परीक्षा या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा के परिणाम, तथा विभागीय शोध–प्रवेश–समिति एवं शोध–मण्डल के माध्यम से होगा।

2.2 4–वर्षीय / 8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्ष / 2 सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3 वर्षीय/6 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2 वर्षीय / 4 सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त या अधिकृत है में कम से कम 55 अंको के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी साविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

2.3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) / दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4 वर्षीय / 8– सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 55 अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सिस्टम का पालन किया जाता है अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) / दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5 अंको या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

3.1. **पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड एवं अन्य प्रक्रियाः–**

प्रवेश यू.जी.सी. और अन्य संबंधित वैधानिक /नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है।

(क) विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार के आधार पर यू.जी.सी. नेट/जे.आर.एफ. और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है।

और/या

(ख) प्रवेश–हेतु अभ्यर्थी को द्विचरणीय–प्रकिया का अनुपालन करना होगा। प्रवेश–परीक्षा–अंक पाठ्यविवरण में 50 प्रतिशत शोध–पद्धति तथा 50 प्रतिशत विशिष्ट शास्त्र सम्बन्धी–विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे।

(ग) प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने के पात्र होंगे।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों के अनुसार अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछड़ वर्ग/दिव्यांग वर्ग, अर्थिक कमजोर वर्ग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिये प्रवेश परीक्षा में 05 प्रतिशत अंको की छूट प्रदान की जायेगी।

(ङ) विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिये प्रवेश परीक्षा के लिये 70 प्रतिशत और साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिये 30 प्रतिशत का महत्व दिया जायेगा।

संबंधित आवेदक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नेट/जे.आर.एफ. कोड संख्या के अनुसार संबंधित विषय में ही नेट/जे.आर.एफ. की परीक्षा उत्तीर्ण हो। (शिक्षा–09, संस्कृत–25, जैन–60, संस्कृत परंपरागत–73, प्राकृत–91, योग–100) नियमानुसार संबंधित विषय में जे.आर.एफ. परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के अन्तर्गत संबंधित विषय में ही प्रवेश दिया जाएगा।

3.2 प्रवेश–हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषयवार संवितरण, प्रवेश का मानदण्ड, परीक्षा प्रकिया एवं प्रवेश–परीक्षा आयोजन केन्द्र आदि का विवरण प्रवेश–पुस्तिका में प्रदान किया जायेगा।

3.3. विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित–मानदण्ड के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक–निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गये दिशानिर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर केन्द्र–सरकार की आरक्षण–नीति के अनुसार किये जाएंगे ।

3.4. प्रवेश–परीक्षा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से अधिसूचित–केन्द्र पर आयोजित की जायेगी।

3.5. विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाईट पर पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सूची में पंजीकृत–शोधछात्र का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि का विवरण होगा।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

पंजीकृत–शोधछात्रों से सम्बन्धित वार्षिक–सूची की एक प्रति समस्त–विभागाध्यक्षों और पीठ प्रमुखों के पास भी संरक्षित होगी।

3.6. विद्यावारिधि में पंजीकरण के लिये संस्तुत छात्र को शोध–मण्डल द्वारा निर्धारित विषय–विशेषज्ञ शोध–निर्देशक के अन्तर्गत शोधकार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, किसी भी अध्यापक को निर्धारित–संख्या से अधिक विद्यावारिधि में प्रवेश–प्राप्त छात्रों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं होगी।

3.7. **विद्यावारिधि–उपाधि के लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियुक्त अध्यापक को भी प्रवेश–प्रक्रिया में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी अन्नापति प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण के समय अवकाश स्वीकृति पत्र भी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऐसे अभ्यर्थियों का शोध में पंजीकरण शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा के उपरान्त केन्द्रीय–शोध–मण्डल में दिये गये साक्षात्कार एवं शोध सम्बन्धी प्रस्तुति की गुणवत्ता पर शोध–मण्डल की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा। ऐसे अध्यापकों को निर्धारित–शोध–पाठ्यक्रम में भाग लेना और सम्बन्धित सत्रीय–परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य होगा।

सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ मानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से निर्धारित सत्रीय पाठ्यक्रम अवधि के लिये अध्ययन अवकाश लेना भी अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों/शोध–सहायकों/अर्धशैक्षिक संवर्ग/अन्य कर्मचारियों को भी सत्रीय पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन–अवकाश लेना अनिवार्य होगा।

3.8. शोध के लिये निर्धारित शोध–निर्देशक, यदि आवश्यक होगा तो सह–शोध निर्देशक की नियुक्ति के लिये केन्द्रीय–शोध–मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और शोध–मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त सह–शोध–निर्देशक की नियुक्ति को कुलपति द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

3.9. विद्यावारिधि–हेतु पंजीकृत छात्र के लिये सत्रीय पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सत्रीय–परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये छात्र द्वारा 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा 75 प्रतिशत की निर्धारित–उपस्थिति अस्वस्थता के कारण पूर्ण नहीं कर पाता/पाती है तो आवश्यक प्रमाणपत्र और पाठ्यक्रम में उसकी दक्षता को ध्यान में रखते हुये उपस्थिति दिवसों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है। सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही शोध पंजीकरण को नियमित स्वीकार किया जायेगा। सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा की उत्तीर्णता के पूर्व शोध–पंजीयन पूर्णतः अस्थायी होगा।

3.10. सत्रीय–पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त शोध छात्र अपने शोध–शीर्षक में अपेक्षित संशोधन के लिये, यदि आवश्यक हो तो, शोध–निर्देशक की संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष एवं पीठम्प्रमुख के माध्यम से कुलपति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

3.11. पाठ्यक्रम की अवधि

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यकम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य (कोर्स वर्क) भी शामिल होगा तथा (पीएच.डी.) कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, बशर्ते, कि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएच.डी. शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (40ः से अधिक विकलांगता वाले) को दो (2) वर्षो की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

करने की कुल अवधि ऐसे मामले में पीएच.डी. ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच.डी. कार्यक्रम अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व–अवकाश/शिशु–देखभाल–अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

4.0. निष्क्रमण–प्रमाणपत्र

विश्वविद्यालय के पूर्व नियमित–छात्रों के अतिरिक्त शेष सभी पंजीकृत–छात्रों द्वारा प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुभाग में मूल निष्क्रमण प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में प्रवेश स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

5.0. विभागीय शोध समिति

विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश–प्राप्त छात्रों के शोध–विषय का निर्धारण विभागीय शोध–समिति द्वारा किया जायेगा। विभागीय शोध–समिति केन्द्रीय–ग्रंथालय में शोध के लिये आवश्यक–ग्रंथों एवं शोध–पत्रिकाओं आदि की उपलब्धता, पंजीकृत–शोधछात्रों की नियमित–उपस्थिति के प्रति सजग रहेगी। विभागीय शोध–समिति विद्या परिषद/कुलपति के निर्देशानुसार शोध–सम्बन्धी अन्य–कार्यों की भी देखरेख करेगी।

विभागीय–शोध–समिति में कम से कम 5 सदस्य होंगे, जिसका गठन निम्नप्रकार से होगाः

सम्बन्धित पीठप्रमुख	–	अध्यक्ष
सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	–	संयोजक
समस्त विभागीय आचार्य	–	सदस्य
सम्बन्धित शोध–पर्यवेक्षक	–	सदस्य

विभाग में अध्यापकों/सदस्यों की संख्या कम होने पर सम्बन्धित पीठप्रमुख आवश्यकतानुसार कुलपति की अनुमति से विश्वविद्यालय के अन्य विभाग या विभागों के विषय–विशेषज्ञ सदस्य को विभागीय शोध–समिति में नामित कर सकते हैं।

5.1 अभ्यर्थी जिस विषय में शोधकार्य करना चाहता हैं, उस विषय के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर अपने शोधशीर्षक का चयन तथा रूपरेखा आदि का निर्माण निर्धारित–निर्देशों के अनुसार करेगा। अतः अभ्यर्थी मार्गनिर्देशक एवं विषय–निर्धारण के लिए सम्बद्ध–विषय के विभागाध्यक्ष से ही सम्पर्क करेंगे।

5.2. शोध–मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली शोध–संक्षिप्तिका/प्रपत्र में शोधार्थी और शोधनिर्देशक के हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष की संस्तुति एवं पीठप्रमुखों के प्रति–हस्ताक्षर होने चाहिए।

5.3. प्रवेश–परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अनुसंधेय विषय तथा शोध–संक्षिप्तिका सम्बद्ध विभागीय शोध–समिति एवं सम्बन्धित–शोध–निर्देशक के द्वारा मौलिक शोध–प्रस्ताव के रूप में संस्तुत होने पर ही छात्र शोध–मण्डल में साक्षात्कार के लिये बुलाये जा सकेंगे।

5.4 शोध–संक्षिप्तिका (Synopsis of the Research) के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक अपेक्षित हैंः–

क. शोध–संक्षिप्तिका में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित शोध–निर्देशक की संस्तुति हो।

ख. शोध–संक्षिप्तिका की निर्धारित प्रतियाँ, जिसमें अनुसन्धान के अध्ययन का अभिप्राय हो और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित हो कि प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में उसका मौलिक–योगदान होगा, अज्ञात–सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा अथवा पहले से ज्ञात–तथ्यों की नवीन–व्याख्या की जायेगी। अनुसन्धान विषय की संक्षिप्तिका में प्रस्तावित शोध–योजना, अध्यायीकरण, प्रत्येक अध्याय में विश्लेषित किये जाने वाले सम्भावित विषय, उपकरण, पद्धति, अनुमान, समीक्षात्मक–निष्कर्ष आदि का प्रतिपादन और इसके साथ ही सन्दर्भ–ग्रन्थ–सूची भी अपेक्षित है।

ग. साधारणतः अभ्यर्थी को विद्यावारिधि में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर में पठित–विषय में ही शोधकार्य करने की स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु परस्पर मिलते–जुलते विषयों जैसे एक दर्शन से दूसरे दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य, वेद, प्राचीन तथा नव्य–व्याकरण एवं न्याय, सिद्धान्त एवं फलित–ज्योतिष आदि विषयों में एकदूसरे विषय में शोध के लिए शोधमण्डल की अनुमति अपेक्षित

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

है। इस प्रकार अन्तःशास्त्रीय अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शोध–मण्डल द्वारा अभ्यर्थी की अपेक्षित–योग्यता से सन्तुष्ट होने पर सम्बन्धित–विषय भी दिया जा सकता है।

5.5. विद्यावारिधि में प्रवेश–अर्हता–स्वीकृति मिलने पर सम्बन्धित शोधछात्र को नियमानुसार पंजीकरण शुल्क और शोध–प्रबन्ध–परीक्षण शुल्क आदि नियत–समय सीमा में जमा कराने होंगे।

6.0. शोध मण्डल:

6.1. प्रत्येक शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध–प्रस्ताव का परिवीक्षण, साक्षात्कार के माध्यम से शोधार्थी के उपस्थापन का परीक्षण एवं शोधकार्य हेतु पंजीयन की संस्तुति शोध–मण्डल द्वारा की जायेगी, जिसका गठन निम्नलिखित सदस्यों से युक्त होगाः–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	सभी पीठ प्रमुख	सदस्य
3.	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	सम्बन्धित पीठ के पीठ प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त– कुलपति द्वारा मनोनीत आचार्य।	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा मनोनीत सम्बन्धित विषयों के सहाचार्य	सदस्य
6.	कुलपति द्वारा मनोनीत बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य
7.	विभागाध्यक्ष, शोध	सदस्य–संयोजक
8.	कुलसचिव	सचिव

6.2. कुलपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति शोध–मण्डल के उपवेशन की अध्यक्षता कर सकेगा। आवश्यकता होने पर शोधमण्डल/मार्ग–निर्देशक को भी परामर्श के लिए आमन्त्रित कर सकेंगे।

6.3. प्रतिवर्ष शोध–मण्डल की एक बैठक अनिवार्य होगी। कुलपति की अनुमति से आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैठकें आहूत की जा सकेंगी।

6.4. शोध–मण्डल की बैठक में कम से कम 75 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6.5. कुलपति द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य बाह्य–विषय–विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

6.6. शोध–मण्डल जाँच करेगा कि–

(क.) शोधार्थी का साक्षात्कार लेगा, प्रस्तावित शोध–योजना की गुणवत्ता का परीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शोधार्थी प्रस्तावित शोध के लिये योग्य है।

(ख.) शोध के लिए शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित विषय और कार्ययोजना स्तरीय–शोध के अनुरूप है या नहीं।

(ग.) यदि शोध–विषय अनुरूप नहीं है, तो विषय में संशोधन–हेतु सुझाव देगा।

(घ.) शोधार्थी का प्रवेश स्वीकृत होने के पश्चात् अभ्यर्थी, शोधनिर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं पीठम् प्रमुख को सूचित कर दिया जाएगा। प्रत्येक पीठम् में सम्बद्ध विभागों के अध्यापक ही उनसे सम्बद्ध विषयों के निर्देशक हो सकेंगे। परन्तु कुलपति एक दूसरे से सम्बद्ध विषयों, जैसा कि उपनियम 3 और उपनियम 9 में उल्लेख किया गया है, के अध्यापकों को सह–शोध–निर्देशक होने की स्वीकृति दे सकेंगे। शोध–निर्देशक जिस विभाग से सम्बद्ध होगा, शोधकर्ता भी उसी विभाग से सम्बद्ध माना जायेगा।

(ङ.) विश्वविद्यालय में अनुसंधान के नये आयामों एवं सम्भावनाओं के सम्बन्ध में नीतियों की स्थापना और उसके क्रियान्वयन के लिये निर्णय लेगा।

(च.) कुलपति की अनुमति से अन्य सम्बन्धित विषय शोध मण्डल के सदस्य/सचिव द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

6.7. प्रस्तावित शोध–विषय एवं शोध–निर्देशक की संस्तुति, शोध–निर्देशक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या, विषय में परिवर्तन आदि की संस्तुति करेगा।

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

6.8 प्रवेश पाने के एक वर्ष के भीतर अभ्यर्थी अपने शोध निर्देशक की अनुशंसा के आधार पर विभागीय शोध समिति के माध्यम शोध–मण्डल की स्वीकृति से अपने विषय की योजना में संशोधन कर सकता है ।

7.0. शोध–पर्यवेक्षक का निर्धारण–शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या आदि।

7.1. शोध–निर्देशक की नियुक्ति में स्वीकृति के लिए निम्नलिखित–अर्हताएँ अपेक्षित है :–
(अ.) साक्षात्–सम्बद्ध अथवा अंतःशास्त्रीय–रूप से सम्बद्ध–विषय का विद्यावारिधि–उपाधि प्राप्त प्राध्यापक,
(ब.) स्नातकोत्तर–स्तर का शिक्षण अनुभव,

7.2. अन्तः शास्त्रीय–विषय में सह–निर्देशक भी स्वीकृत किए जा सकेंगे। सह–शोध–निर्देशक विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/उच्च–शैक्षणिक–संस्थाओं के आचार्य हो सकते हैं। विद्यावारिधि के छात्रों को विषय–विशेषज्ञता रखने वाले अन्य–विभागों के अध्यापकों के मार्ग निर्देशन में शोधकार्य करने की अनुमति भी प्रदान की जा सकती है।

7.3. विश्वविद्यालय में नियमितरूप से नियुक्त आचार्य/सहाचार्य जिसने किसी संदर्भित–पत्रिका में कम से कम पॉच शोध–प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय में कार्यरत कोई भी नियमित सहायक–आचार्य जो पीएच.डी.–उपाधिधारक हों तथा जिसके संदर्भित–पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध–पत्र प्रकाशित किए गए हों, उसे शोध–पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

यदि वह उन क्षेत्रों/विधाओं में जहॉ कोई भी संदर्भित–पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित संख्या में संदर्भित पत्रिका हो, तो विभागीय–शोध–समिति के संस्तुति पर विश्वविद्यालय का शोध–मण्डल किसी व्यक्ति को शोध–पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखितरूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

अनुबंध संकाय सदस्य (एडजंक्ट फैकल्टी) शोध पर्यवेक्षक नहीं हो सकते, वे केवल सह पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को तीन वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। बशर्ते कि, हालॉकि, ऐसे संकाय अपनी सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोधार्थियों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह–पर्यवेक्षक के रूप में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते है उसके बाद नहीं।

7.4. केवल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक–शिक्षक ही शोध–निर्देशक/पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है, तथापि, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों को शोध–मण्डल के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

7.5. किसी चयनित–शोधार्थी के लिए शोध–निर्देशक के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की रुचि के आधार पर संस्तुति प्रदान की जा सकती है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के शोध–मण्डल द्वारा विचार किया जा सकता है। शोध–मण्डल की संस्तुति के आधार पर कुलपति द्वारा, जैसा कि सम्बन्धित विद्वान् द्वारा अपने साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, निर्णय लिया जाएगा।

7.6. ऐसे शोध–हेतु शीर्षक जो अंतरविषयी स्वरूप के हैं, जहॉ संबंधित–विभाग यह अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध–विशेषज्ञ की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध–पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध–पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा और सम्बन्धित विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करनेवाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।

7.7. किसी एक समय में कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध–निर्देशक (पर्यवेक्षक)/सह निर्देशक के रूप में आठ (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। कोई भी सह–आचार्य, शोध–निर्देशक/सह निर्देशिक के रूप में अधिकतम छः (06) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध–निर्देशक (पर्यवेक्षक) के रूप में

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सहायक–आचार्य अधिकतम चार (04) पीएच.डी. शोधार्थियों को शोध–निर्देशन/ सह निर्देशिक प्रदान कर सकता है ।

7.8. विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी. महिला–शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध–आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी, जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन नियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोधकार्य किसी मूल–संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण–एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो, तथापि, शोधार्थी मूल–संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोधकार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

7.9. किसी विशेष–स्थिति में शोध–निर्देशक को परिवर्तित करने के लिये शोधछात्र द्वारा एक वर्ष के भीतर आवेदन अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से पीठ प्रमुख को प्रेषित किया जा सकता है। पीठ प्रमुख की संस्तुति के उपरान्त कुलपति द्वारा शोध–निर्देशक को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

7.10 शोध–निर्देशक के स्थानान्तरण/सेवामुक्ति/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में शोध–निर्देशक परिवर्तन की आवश्यकता होने पर छात्र विभागाध्यक्ष/विभागीय शोध–समिति के निर्देश और कुलपति की अनुमति से निश्चित शोध निर्देशक के अधीन शोधकार्य करेगा। शोधकार्य पूर्ण होने पर दुर्भाग्यवश निर्देशक की मृत्यु की स्थिति में विभागीय शोध–समिति के माध्यम से अनुमति लेकर नियमानुसार छात्र शोधप्रबन्ध विभागाध्यक्ष के निर्देशन में जमा कर सकते हैं। ऐसे शोधछात्र की गणना शोध निर्देशक के लिये निर्धारित शोधछात्रों की संख्या में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

8.0 कोर्स वर्क–क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिय न्यूनतम मानदण्ड आदि।

8.1 सभी पीएच.डी. शोधार्थी को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अध्ययन के विषय की परवाह किए बिना अपने चुने हुए पीएच.डी. विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएच.डी. शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह 4–6 घंटे शिक्षण/शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते है।

8.2 एक पीएच.डी. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध प्रबंधन (थीसिस) जमा करने हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम 55 अंक या यूजीसी 10 पॉइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

8.3 पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें शोध और प्रकाशन नैतिकताष कोर्स, जैसा कि यूजीसी द्वारा डी.ओ. मि० सं० 1–1/2018 (जर्नल/केयर) 2019 में अधिसूचित है और जिसने एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सिफारिश भी कर सकती हैं।

8.4 पाठ्यक्रम–सम्बन्धी–कार्य को पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए, जाएंगे जिसमें शास्त्रीय शोध पद्धतिः, पाण्डुलिपिविज्ञानं पाठालोचनञ्च, शोधसर्वेक्षणम्/अनुसन्धानं प्रकाशननैतिकता च, कम्प्यूटर–अनुप्रयोग, शोध–सम्बन्धी–आधार तथा संगत–क्षेत्रों में प्रकाशित शोध की समीक्षा आदि सम्मिलित हैं।

8.5 पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक–अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन सम्बन्धी–पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा।

8.6 **पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश–प्राप्त सभी छात्रों को प्रारम्भिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित–पाठ्यक्रम–सम्बन्धी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा अन्यथा अस्थाई पंजीकरण निरस्त माना जाएगा।**

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

8.7. शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम–सम्बन्धी–कार्य में ग्रेड को, शोध–समीक्षा/सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किये जाने के बाद अंतिमरूप दिया जायेगा।

8.8. पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम–सम्बन्धी कार्य में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा जिससे वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिये पात्र हो, तथा उसे शोधप्रबन्ध, जैसा निर्धारित हो, जमा करना होगा।

9.0. शोध–समीक्षा–समिति/शोध –सलाहकार–समिति तथा इसके प्रकार्य :

9.1. शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से युक्त होगाः

1.	संबंधित पीठ प्रमुख	–	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभागाध्यक्ष	–	समन्वयक
3.	संबंधित मार्गनिर्देशक	–	सदस्य संयोजक
4.	कुलपति द्वारा नामित एक बाह्य–विषय–विशेषज्ञ	–	सदस्य

शोध–समीक्षा–समिति विभाग के शोधछात्रों के शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और प्रत्येक शोधछात्र के शोधकार्य की प्रगति की समीक्षा प्रति 6 मास पर करेगी। विभागीय शोध समीक्षा–समिति की संस्तुति के उपरान्त ही शोधछात्र का षाण्मासिक–प्रगति–विवरण स्वीकार किया जाएगा और छात्रवृत्ति प्राप्त करने की संस्तुति की जायेगी।

शोधछात्र के द्वारा शोधकार्य पूर्ण करने सम्बन्धी प्रार्थनापत्र के प्राप्त होने के अनन्तर पर शोध–समीक्षा–समिति द्वारा सम्बन्धित शोधकार्य की पूर्ति हेतु कम से कम विगत तीन वर्ष के शोधकार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा। शोध–समीक्षा–समिति शोधछात्र द्वारा किये गये शोध कार्य का सर्वांगीण परीक्षण करने के उपरान्त शोध की गुणवत्ता, उसकी वस्तुनिष्ठता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन की स्थिति आदि की समीक्षा कर अपनी संस्तुति प्रदान करेगी।

प्रति–शैक्षणिक–वर्ष में शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति की दो बैठकें आयोजित की जाएंगी।

9.2. शोधार्थी को अध्ययन ढॉचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम की पहचान कराना ।

9.3. शोधार्थी के शोधकार्य की आवधिक–समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता करना।

9.4 शोधार्थी छः माह में एक बार शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में संगणक के माध्यम से एक प्रस्तुति देगा। शोध–सलाहकार–समिति द्वारा षाण्मासिक–प्रगति–रिपोर्ट की प्रति उसकी पत्रावली में, एक प्रति सम्बन्धित–विभाग को तथा एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी।

9.5. यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध–सलाहकार–समिति इसके कारण का उल्लेख करेगी तथा उपचारात्मक–उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक–उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है, तो शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट–कारण प्रस्तुत करते हुये कुलपति को संस्तुति कर सकती है।

10.0. पीएच.डी. शोधप्रबन्ध जमा करने से पूर्व आवश्यक–निर्देशों का अनुपालन

10.1. विद्यावारिधि–सत्रीय–पाठ्यक्रम का आयोजन यू.जी.सी. के नियमानुसार पूर्णकालिक है। इसमें सत्रीय पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ–साथ पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों तक नियमितरूप से प्रतिमास 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। शोधछात्र द्वारा 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं करने की स्थिति में शोधछात्र को तब तक लगातार उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जब तक शेष उपस्थिति को पूरा कर 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं हो पाती ।

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

10.2. चिकित्सा–हेतु चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में कम से कम 65 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह लाभ उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्राप्त हो सकेगा जो इस आशय का चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

10.3. पूर्व–पीएच.डी. अनिवार्य–पाठ्यक्रम है, अतः सभी शोधार्थी को इसे कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त हो जायेगा।

10.4. सत्रीय–पाठ्यक्रम की सत्रान्त–परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले छात्र अपनी अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, संदर्भ–पत्रिका में प्रकाशित शोधपत्रों की प्रतिलिपि और संगोष्ठी में प्रस्तुत शोधपत्रों की प्रतिलिपि, शोधप्रबन्ध की दो सी.डी./डी.वी.डी. जिसमें शोधप्रबन्ध यथावत् प्रस्तुत हो एवं शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणित हो, को शोधप्रबन्ध के साथ अवश्य संलग्न करेंगे, जिससे उन्हें यथोचित विद्यावारिधि का प्रमाणपत्र परीक्षा–विभाग से दिया जा सके। शोधप्रबन्ध की सी.डी./डी.वी.डी. पर स्थायी मार्कर द्वारा शोध–शीर्षक, शोधछात्र का नाम, विभाग का नाम अंकित करना एवं शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

10.5. समस्त आवश्यक–प्रपत्रों के साथ शोधप्रबन्ध विश्वविद्यालय के शैक्षणिक–अनुभाग में जमा किया जायेगा। शैक्षणिक–अनुभाग सम्बन्धित प्रमाणपत्रों एवं नियमों की पूर्ति–सम्बन्धी विवरण की जॉच करेगा। शोध प्रबन्ध के नियमानुकूल पाये जाने की स्थिति में 15 दिनों के अन्दर परीक्षा–अनुभाग को आवश्यक–कार्यवाही–हेतु प्रेषित करेगा।

10.6 शोधछात्र को शोधप्रबन्ध के मूल्यांकन–हेतु प्रबन्ध–शुल्क रु. 1000/– लेखा–विभाग में जमा करवाने होंगे । शोधप्रबन्ध–शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही शोधप्रबन्ध अग्रिम–कार्यवाही–हेतु परीक्षा–विभाग को प्रेषित किये जायेंगे ।

11.0. विद्यावारिधि–पाठ्यक्रम में पंजीकृत–छात्रों की उपस्थिति, प्रगति विवरण एवं अनुशासन

11.1. प्रत्येक विभागाध्यक्ष के पास प्रत्येक शोधछात्र की उपस्थिति एवं प्रगति पंजिका रखी जाएगी, जिसमें उसके विभागीय अध्यापकों के निर्देशन में कार्यरत शोधछात्र की नियमित उपस्थिति और उसके षाण्मासिक–प्रगति–विवरण का अंकित होना अनिवार्य है। प्रगति–विवरण की पुष्टि के अनन्तर ही शोधछात्र का शोध–प्रबन्ध विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा के लिए अग्रसारित किया जाएगा।

11.2. यदि कोई छात्र तीन माह तक बिना किसी स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

11.3. प्रत्येक शोधछात्र के लिये अपना षाण्मासिक–प्रगति–विवरण शोधनिर्देशक एवं विभागाध्यक्ष से संस्तुत एवं अग्रसारित कराकर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक–अनुभाग में समय से जमा कराना अनिवार्य होगा।

11.4. प्रत्येक शोधछात्र को मूल शैक्षिक–अवधि (तीन वर्ष) में प्रतिमास न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अंकित करना अनिवार्य है। प्रत्येक माह के प्रथम कार्यदिवस पर विगत माह की उपस्थिति पंजिकाएं पीठ प्रमुख के माध्यम से शैक्षिक–अनुभाग में उपस्थिति–विवरण–हेतु भेजी जायेंगी। प्रत्येक शोधछात्र के मासिक–उपस्थिति का विवरण पीठ प्रमुख के पास भी प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी माह में छात्रवृत्ति प्राप्त करनेवाले शोधार्थी की अनुपस्थिति 10 दिनों से अधिक होगी, तो उसे उस माह की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आगामी माह की उपस्थिति में समायोजित नहीं किया जायेगा।

11.5. सत्रीय–पाठ्यक्रम में छात्र की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। न्यूनतम–उपस्थिति–अवधि में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी। गम्भीर–रुग्णता की स्थिति में पंजीकृत–चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय–प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति द्वारा अधिकतम 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकती है।

11.6. अनुसन्धाता को दिल्ली में रहकर शोधकार्य करना होगा, किन्तु अनुसन्धान–सम्बन्धी–कार्य के लिए अन्यत्र रहना आवश्यक होने पर मार्ग–निर्देशक की संस्तुति, विभागाध्यक्ष तथा पीठ प्रमुख की स्वीकृति पर अधिक से अधिक एक माह तथ्य–संकलन के लिये बाहर रहने की अनुमति कुलसचिव/कुलपति द्वारा दी ज़ा सकती है। तीन वर्ष में अधिक से अधिक 2 माह की अनुमति तथ्य संकलन के लिये मिल सकती है। जे.आर.एफ. शोधार्थी यू.जी.सी एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त फैलोशिप के सम्बन्ध में सम्बद्ध संस्था के नियम लागू होंगे, नियम स्पष्ट न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के नियम ही लागू होंगे । इस सम्बन्ध में छात्र को आवेदन पत्र विभाग के माध्यम से शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

11.7. प्रत्येक अनुसन्धाता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित संगोष्ठियों तथा व्याख्यानों में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है एवं शोधावधि में कम से कम दो मौलिक शोध–निबन्ध संगोष्ठियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.8. अभ्यर्थी जिसको विद्यावारिधि के लिए पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी हो, विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था में किसी भी अन्य उपाधि अथवा परीक्षा के लिए नामांकन या प्रवेश नहीं करा सकेगा।

11.9 शोधनिर्देशक/विभागाध्यक्ष और पीठम् प्रमुख से यदि किसी शोधछात्र के आचरण एवं सामान्य व्यवहार के सम्बन्ध में प्रतिकूल–टिप्पणी प्राप्त होने पर अनुशासन–समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा कम से कम एक माह के लिये निलम्बित किया जा सकता है और शोधावधि में ऐसी तीन शिकायतों की स्थिति में सम्बन्धित शोधछात्र का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

11.10. जे.आर.एफ./नेट/स्लेट परीक्षा–उत्तीर्ण विद्यावारिधि के छात्रों को स्नातक–स्तरीय–कक्षाओं में अध्यापन का दायित्व प्रदान किया जा सकता है।

11.11. ऐसे अभ्यर्थी, जो पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए 07 नवम्बर, 2022 को अथवा उसके पश्चात् इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना इन यूजीसी (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं विधि) विनियम, 2016 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

11.12. विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यावारिधि के शोधछात्र शोधकाल में प्रतिवर्ष पूर्वघोषित राजपत्रित अवकाश के पात्र होंगे।

11.13. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि नियमावली, 2022 के प्रावधानों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2022 के समस्त अन्य प्रावधानों तथा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि–उपाधि प्राप्त करने के लिये यथावत् स्वीकार किया जायगा।

11.14. विद्यावारिधि–उपाधि–विनियम, 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत शोध के लिए पंजीकृत–छात्रों को तीन वर्ष की नियमित उपस्थिति और सम्बन्धित अवधि में शोध की संतोषजनक–प्रगति–रिपोर्ट के बाद नियमित–उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। तीन वर्ष के उपरान्त भी शोधछात्र को शोधप्रबन्ध जमा करने की निर्धारित अवधि में शोधप्रगति–विवरण प्रति छः माह में जमा करना अनिवार्य होगा जिससे उसे शोध–समीक्षा–समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

11.15. जे.आर.एफ. एवं अन्य शोध अध्येयतावृत्ति प्राप्त पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित संस्था द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में प्रगति विवरण/**निरंतर**ता प्रमाणपत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्र शैक्षणिक विभाग में जमा न करवाने की स्थिति में सम्बन्धि छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

12.0. उपाधि आदि प्रदान करने के लिए मूल्याकंन तथा निर्धारण–पद्धतियॉं, न्यूनतम–मानदण्ड/क्रेडिट आदि

12.1 शोध–प्रबन्ध को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी विश्वविद्यालय की विभागीय शोध समिति /सलाहकार–समिति के समक्ष संगणक के माध्यम से एक प्रस्तुति देगा, जिसमें पीठ के सभी सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध–समीक्षा/सलाहकार–समिति के परामर्श के अनुरूप–सामग्री थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल की जायेगी। समिति की अनुशंसा के अनुसार पूर्व पीएच.डी. प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीन माह और छः वर्ष की शोध अवधि जो भी पहले हो के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना शोध प्रबन्ध तैयार कर मूल्यांकन हेतु शैक्षणिक विभाग में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

12.2 मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध-प्रबन्ध जमा करने से पूर्व पीएच.डी शोधार्थी संदर्भित–पत्रिका में आई.एस.एस.एन. सहित अपने विषय से सम्बन्धित कम से कम दो शोधपत्र अनिवार्यरूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो शोधपत्र प्रस्तुत करेगा तथा इनके सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य शोधप्रबन्ध के परिशिष्ट भाग में संलग्न करेगा। शोधछात्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शोध प्रबन्ध के मुख्य–पृष्ठ के लिए मेरून रंग विश्वविद्यालय के गोल्डन–लोगो–सहित निर्धारित किया गया है । सभी शोधछात्र निर्धारित रंग के अनुसार अपना शोधप्रबन्ध मुख्य–पृष्ठ तैयार करेंगे।

12.3 सुविकसित–सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा–सम्बन्धी छल–कपट का पता लगाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित शोध–समीक्षा–समिति द्वारा परीक्षण

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कराकर उचित–कार्यवाही की जाएगी। थीसिस को मूल्याकंन–हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा शोध–पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन–स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य विश्वविद्यालय में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपाधि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है । शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करते समय शोधछात्रों को निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

01. रचनास्वत्त्वाधिकार–प्रमाणपत्रम्
02. शोधच्छात्रस्य प्रतिज्ञापत्रम्
03. शोधच्छात्रस्य घोषणापत्रम्
04. शोधप्रविधिपरीक्षाप्रमाणपत्रम्
05. प्रस्तुति–पूर्व–सङ्गोष्ठीसफलताप्रमाणपत्रम्
06. रचनास्वत्त्वाधिकारहस्तान्तरणप्रमाणपत्रम्

12.4 शोधार्थी द्वारा जमा किये गए पीएच.डी. शोधप्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य–परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक परीक्षक विदेश से भी हो सकता है। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक–परीक्षा, शोध–पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य–परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य–परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें विभाग तथा पीठ के सदस्यगण और अन्य शोधार्थी या इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

12.5 शोध प्रबंध के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी, जब शोध प्रबंध पर बाह्य–परीक्षकों की मूल्यांकन–रिपोर्ट संतोषजनक हो। पीएच.डी. शोधप्रबन्ध के सम्बन्ध में बाह्य–परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन–रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य–परीक्षक को थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक–परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा ।

12.6 शोध प्रबंध जमा करने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर पीएच.डी. शोधप्रबन्ध के मूल्यांकन की समग्र–प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

12.7 विद्यापरिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अस्थाई–प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु एक शोध–उपाधि समिति का गठन किया गया है। शोधोपाधि समिति की संस्तुति के उपरान्त ही शोधछात्रों को अस्थाई प्रमाणपत्र/शोधोपाधि निर्गत की जाएगी। शोधोपाधि–समिति की संस्तुतियों को विद्या परिषद् की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

विद्यापरिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शोधकार्य सम्पन्न करने वाले छात्र की वाक् परीक्षा के अनन्तर यदि वाक् परीक्षक भी अनुसन्धान उपाधि प्रदान करने के लिए संस्तुति करते हैं, तो सभी संस्तुतियाँ शोधोपाधि–समिति की बैठक में स्वीकृति–हेतु प्रस्तुत की जाएगी। शोधोपाधि–समिति द्वारा विद्यावारिधि–उपाधि–हेतु निर्धारित–मापदंडों के अनुपालन में वाक्–परीक्षकों की संस्तुतियों की समीक्षा कर सम्बन्धित् शोधछात्रों को शोध–उपाधि प्रदान करने के लिए योग्य घोषित करने की अनुशंसा तथा अस्थाई प्रमाणपत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाएगी। शोधोपाधि–समिति का गठन निम्न प्रकार से होगाः–

1. कुलपति	–	अध्यक्ष
2. पीठ प्रमुख, वेद–वेदांग	–	सदस्य
3. पीठ प्रमुख, साहित्य एवं संस्कृति	–	सदस्य
4. पीठ प्रमुख, दर्शनशास्त्र	–	सदस्य
5. पीठ प्रमुख, आधुनिक विषय	–	सदस्य
6. पीठ प्रमुख, शिक्षाशास्त्र	–	सदस्य
7. शोध विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
8. कुलसचिव	–	सदस्य
9. परीक्षा–नियंत्रक / उपकुलसचिव (परीक्षा)	–	संयोजक

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

उपरोक्त शोधोपाधि–समिति की बैठक आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह के अन्तिम–सप्ताह में की जा सकती है। शोधोपाधि–समिति की अनुशंसा के उपरान्त परीक्षा–विभाग द्वारा अस्थाई प्रमाण पत्र/उपाधिपत्र जारी किया जा सकता है।

13.0 समयवृद्धि

सभी पंजीकृत–छात्रों को तीन वर्ष के सामान्य–पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद समय की अपेक्षा में उनके प्रार्थनापत्र पर शोधनिर्देशक, विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर पीठम्प्रमुख द्वारा एक–एक वर्ष की समयवृद्धि का निर्णय लिया जा सकता है। अनुसन्धान–काल की अधिकतम अवधि–पंजीकरण की तिथि से छः (6) वर्ष की होगी। समयवृद्धि की अवधि में भी उपस्थिति नियम वही होंगे, जो न्यूनतम–शोधावधि में उल्लिखित हैं। समयवृद्धि हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा पंजीकरण निरस्त माना जाएगा।

14.0. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

14.1. पीएच.डी. उपाधियों को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन–प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पीएच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय पीएच.डी. शोधप्रबंध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति (सी.डी./डी.वी.डी.) इन्फ्लिबनेट के पास बेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच बनाई जा सके।

14.2. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित शोधछात्र को यह प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा कि उपाधि, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2022' के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

15.0 इन विनियमो की अधिसूचना से पूर्व पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना इन विनियमों के अधिनियमन से पहले शुरू होने वाले एम.फिल उपाधि कार्यक्रम इन विनियमों की किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच.डी. पाठ्क्रमों के लिए 11 जुलाई, 2009 को अथवा उसके पश्चात इन विनियमों की अधिसूचना तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान किया जाना, यू. जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016, जैसा भी मामला हो इसके अलावा) पहले से पंजीकृत एवं पीएच. डी. कर रहे उम्मीदवारों को उपाधि प्रदान करने के लिए इन विनियमों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2016 के प्रावधानो द्वारा शासित होंगे। इन विनियमों के अधिनियमन से पहले प्रारंभ एम. फिल उपाधि कार्यक्रम का इन विनियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15.1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त नियमों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित–नियम विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू स्वीकार किये जायेंगे।

15.2. श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय विद्यावारिधि नियमावली, 2022 के किसी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में कुलपति की संस्तुति के उपरान्त स्पष्टीकरण के लिये विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

15.3. विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा इस विनियम के प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

15.4. अंशकालिक शिक्षा पद्वति के माध्यम से पीएच.डी.–

(1) अंशकालिक पद्वति के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्ते पूरी हों।

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

(2) अंशकालिक पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा जहाँ अभ्यर्थी कार्यरत है और जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो किः–

I. उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।
II. उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।
III. यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

(3) वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ और/या ऑनलाईन पद्वति के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

16. पुनः पंजीकरण

पुनः पंजीकरण के लिए शोधार्थी द्वारा दिए गए कारण एवं उनके शोधनिर्देशक, विभागाध्यक्ष, पीठ प्रमुख की संस्तुति के बाद शोधमण्डल शोधकार्य के परीक्षणोपरान्त अनुमति प्रदान कर सकता है। पुनः पंजीकरण की अवधि दो वर्ष की होगी। पुनः पंजीकरण शुल्क 2000/- रुपये होगा। सम्बन्धित शोध छात्र को पुनः पंजीकरण की अवधि में शोध प्रबन्ध जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।

विशेषः किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल को प्रेषित किया जा सकता है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय मान्य होंगे।

सत्यापित
VERIFIED

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
Assistant Registrar (Academic)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

Code of Ethics Policy

SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament)
Ministry of Education, Govt. of India

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

POLICY ON PROMOTION OF ACADEMIC INTEGRITY AND PREVENTION OF PLAGIARISM

INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL

SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

(A CENTRAL UNIVERSITY)

(Established by an Act of Parliament, 2020)

[Under Ministry of Education, Govt. of India]

B-4 QUTUB INSTITUTIONAL AREA,

NEW DELHI-110016

सत्यापित
VERIFIED

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

TABLE OF CONTENT

Sr. No.	Description	Page No.
1-	Preamble	1
2-	Definitions	1
	Terms referred to Academic Programmes used	4
3-	Objectives	5
4-	Curbing Misconduct and Plagiarism	5
5-	Similarity checks for exclusion from Plagiarism	6
6-	Levels of Plagiarism	7
7-	Detection/Reporting/Handling of Plagiarism	7
8-	Departmental Academic Integrity Panel (DAIP)	7
9-	Institutional Academic Integrity Panel (IAIP)	8
10-	Penalties	8
10.1-	Penalties in case of plagiarism in submission of thesis and dissertations	8
10.2-	Penalties in case of plagiarism in academic and research publications	9
11-	Awareness Programs and Training:	10

सत्यापित
VERIFIED

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

1. Preamble

Maintaining a high level of standards in higher education and research is essential to propagate ideas for the generation of knowledge. The university plays a significant role in enhancing the existing knowledge. A practice of fair and honest use of knowledge is imperative towards the journey of creating new ideas and knowledge in higher education and research. Adopting the prinicple of academic ethics and integrity in the university is essential to prohibit any academic misconduct and unfair use of the ideas and knowledge of others. The SLBSNS University strictly adheres to the policy of academic integrity and has completely endorsed the UGC Regulations 2018 on the " Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions". Accordingly, SLBSNS University has formulated a policy on academic ethics to ensure the promotion of academic ethics and the prohibition of all kinds of malpractices.

2. Definitions

The UGC Regulation 2018 on the "Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions" has defined briefly certain significant terms associated with the concept of academic integrity and ethics as follows:

i) "Academic Integrity" is the intellectual honesty in proposing, performing and reporting any activity, which leads to the creation of intellectual property.

ii) "Author" includes a student or a faculty or a researcher or staff of a Higher Educational Institution (SLBSNSU), who claims to be the creator of the work under consideration.

iii) "Commission" means the University Grants Commission as defined in the University Grants Commission Act 1956.

iv) "Common Knowledge" means a well-known fact, quote, figure or information that is known to most of the people.

सत्यापित
VERIFIED

v) "Degree" means any such degree specified by the University Grants Commission, by notification in the Official Gazette, under section 22 of the University Grants Commission Act, 1956.

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

vi) "Departmental Academic Integrity Panel" shall mean the body constituted at the departmental level to investigate allegations of plagiarism.

vii) "Faculty" refers to a person who is teaching and/or guiding students enrolled in an HEI in any capacity whatsoever i.e. regular, ad-hoc, guest, temporary, visiting etc.

viii) "Information" includes data, messages, text, images, sound, voice, codes, computer programs, software and databases or microfilm or computer-generated microfiche.

ix) "Institutional Academic Integrity Panel" shall mean the body constituted at the Institutional level to consider recommendations of the departmental academic integrity panel take appropriate decisions in respect of allegations of plagiarism and decide on penalties to be imposed. In exceptional cases, it shall investigate allegations of plagiarism at the institutional level.

x) "Notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notify" with its cognate meanings and grammatical variation shall be construed accordingly;

xi) "Plagiarism" means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own.

xii) "Programme" means a programme of study leading to the award of a master's and research-level degree;

xiii) "Researcher" refers to a person conducting academic/scientific research in HEIs;

xiv) "Script" includes a research paper, thesis, dissertation, chapters in books, full-fledged books and any other similar work, submitted for assessment/opinion leading to the award of master and research level degrees or publication in print or electronic media by students or faculty or researcher or staff of an HEI; however, this shall exclude assignments/term papers/project reports/course work/essays and answer scripts etc.;

xv) "Source" means the published primary and secondary material from any source whatsoever and includes written information and opinions gained directly from other people, including eminent scholars, public figures and practitioners in any form whatsoever as also data and information in the electronic form be it audio, video, image or text; Information is given the same meaning as defined under Section 2 (1) (v) of the Information Technology Act, 2000 and reproduced here in Regulation 2 (l);

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

xvi) "Staff" refers to all non-teaching staff working in HEIs in any capacity whatsoever i.e. regular, temporary, contractual, outsourced etc.;

xvii) "Student" means a person duly admitted and pursuing a programme of study including a research programme in any mode of study (full-time or part-time or distance mode);

xviii) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, and includes an institution deemed to be a university under section 3 of the UGC Act, 1956;

xix) "Year" means the academic session in which a proven offence has been committed.

(Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 shall have the meanings respectively assigned to them in the UGC Act, 1956)

Besides, the following terms used in this policy document have reference to the CSU Act 2020 as notified in the gazette on 15th March 2020

i) "Sanskrit" means the Sanskrit language, in modern, classical or ancient form, and the knowledge available therein or related thereto, in addition to the Sanskrit language.

ii) "Campus" means any unit established or constituted by the University at any place within or outside India for making arrangements for instructions, research, education, and training in Sanskrit and includes an existing Campus established by the university prior to the commencement of this Act.

iii) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies.

iv) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the SLBSNS University, New Delhi

Terms referred to Academic Programmes used

i) "Shastri" refers to undergraduate programmes offered by the SLBSNS University

सत्यापित VERIFIED

ii) "Shikshashastri" refers to B.Ed. (Bachelor of Education) programme offered by the SLBSNS University

राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

iii) "Acharya" refers to post-graduate programmes offered by the SLBSNS University

iv) Shikshacharya" refers to M.Ed. (Master of Education) programme offered by the SLBSNS University

v) "Vidyavaridhi" refers to PhD (Doctor of Philosophy) programme offered by the SLBSNS University.

3. Objectives

i) To create awareness about responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and prevention of misconduct including plagiarism in academic writing among students, faculty, researchers and staff.

ii) To establish institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and deterrence from plagiarism.

iii) To develop systems to detect plagiarism and to set up mechanisms to prevent plagiarism and punish a student, faculty, researcher or staff of HEI committing the act of plagiarism.

4. Curbing Misconduct and Plagiarism

i) SLBSNS University shall declare and implement the technology-based mechanism using appropriate software to ensure that documents such as thesis, dissertation, publications or any other such documents are free of plagiarism at the time of their submission.

ii) The mechanism as defined at (i) above shall be made accessible to all engaged in research work including students, faculty, researchers, staff etc.

iii) Every student submitting a thesis, dissertation, or any other such documents to the SLBSNS University shall submit an undertaking indicating that the document has been prepared by him or her and that the document is his/her original work and free of any plagiarism.

iv) The undertaking shall include the fact that the document has been duly checked through a Plagiarism Detection Software (PDS) approved by the SLBSNS University.

सत्यापित
VERIFIED

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi

v) Each supervisor shall submit a certificate indicating that the work done by the researcher under him / her is original and free from plagiarism.

vi) The university coordinator for the Shodhganga/Librarian shall generate/provide a certificate to the effect that the research work completed by the researcher is free from plagiarism.

vii) SLBSNS University shall deposit soft copies of thesis to INFLIBNET after the award of degrees for hosting in the digital repository under the "*Shodh Ganga e-repository*".

viii) SLBSNS University shall create an Institutional Repository on the institute website which shall include dissertation/thesis/paper/publication and other in-house publications.

5. Similarity checks for exclusion from Plagiarism

The similarity checks for plagiarism shall exclude the following:

i. All quoted work reproduced with all necessary permission and/or attribution.

ii. All references, bibliography, table of contents, preface and acknowledgements.

iii. All generic terms, laws, standard symbols and standard equations.

Note:

The research work carried out by the student, faculty, researcher and staff shall be based on original ideas, which shall include abstract, summary, hypothesis, observations, results, conclusions and recommendations only and shall not have any similarities. It shall exclude common knowledge or coincidental terms, up to fourteen (14) consecutive words.

6. Levels of Plagiarism

Plagiarism would be quantified into the following levels in ascending order of severity for its definition:

i. Level 0: Similarities up to 10% - Minor similarities, no penalty

ii. Level 1: Similarities above 10% to 40%

iii. Level 2: Similarities above 40% to 60%

iv. Level 3: Similarities above 60%

सत्यापित
VERIFIED

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

7. Detection/Reporting/Handling of Plagiarism

If any member of the academic community suspects with appropriate proof/evidence that a case of plagiarism has happened in any document, he or she shall report it to the Departmental Academic Integrity Panel (DAIP). Upon receipt of such a complaint or allegation, the DAIP shall investigate the matter and submit its recommendations to the Institutional Academic Integrity Panel (IAIP) of the SLBSNS University.

The authorities of SLBSNS University can also take *suomotu* notice of an act of academic misconduct/plagiarism and initiate proceedings under these regulations. Similarly, proceedings can also be undertaken by the SLBSNS University based on the findings of an examiner. All such cases will be investigated by the IAIP.

8. Departmental Academic Integrity Panel (DAIP)

i. All Departments in SLBSNS University shall notify a DAIP whose composition shall be as given below:

a. Chairman - Head of the Department

b. Member - Senior academician from outside the department, to be nominated by the Vice-Chancellor of SLBSNS University.

c. Member - A person well versed with anti-plagiarism tools, to be nominated by the Head of the Department.

The tenure of the members in respect of points 'b' and 'c' shall be two years. The quorum for the meetings shall be 2 out of 3 members (including the Chairman).

ii. The DAIP shall follow the principles of natural justice when deciding whether to allege plagiarism against the student, faculty, researcher, and staff.

iii. The DAIP shall have the power to assess the level of plagiarism and recommend penalties accordingly.

iv. The DAIP after investigation shall submit its report with the recommendation on penalties to be imposed to the IAIP within 45 days from the date of receipt of the complaint/initiation of the proceedings.

सत्यापित
VERIFIED

9. Institutional Academic Integrity Panel (IAIP)

i. Following shall be the composition of IAIP at SLBSNS University:

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi

a. Chairman – Dean Academic/Senior most Professor of the SLBSNS University

b. Member - Senior Academician other than Chairman, to be nominated by the Vice-Chancellor of SLBSNS University.

c. Member - One member nominated by the Vice-Chancellor of SLBSNS University from outside the SLBSNS University

d. Member - A person well versed with anti-plagiarism tools, to be nominated by the Vice-Chancellor of SLBSNS University.

The Chairman of DAIP and IAIP shall not be the same. The tenure of the Committee members including the Chairman shall be three years. The quorum for the meetings shall be 3 out of 4 members (including the Chairman).

ii. The IAIP shall consider the recommendations of the DAIP.

iii. The IAIP shall also investigate cases of plagiarism as per the provisions mentioned in these regulations.

iv. The IAIP shall follow the principles of natural justice when deciding whether to allege plagiarism against the student, faculty, researcher, and staff of HEI.

v. The IAIP shall have the power to review the recommendations of DAIP including penalties with due justification.

vi. The IAIP shall send the report after investigation and the recommendation on penalties to be imposed to the Vice-Chancellor of SLBSNS University within 45 days from the date of receipt of the recommendation of DAIP/complaint/initiation of the proceedings.

vii. The IAIP shall provide a copy of the report to the person(s) concerned against whom the inquiry report is submitted.

10. Penalties

Penalties in the cases of plagiarism shall be imposed on students pursuing studies at the level of Masters and Research programs and on researchers, faculty & staff of the SLBSNS University only after academic misconduct on the part of the individual has been established without doubt, when all avenues of appeal have been exhausted and individual in question has been provided enough opportunity to defend himself or herself fairly or transparently.

सत्यापित
VERIFIED

10.1 Penalties in case of plagiarism in submission of thesis and dissertations

The Institutional Academic Integrity Panel (IAIP) shall impose a penalty considering the severity of the Plagiarism.

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

i. Level 0: Similarities up to 10% - Minor Similarities, no penalty.

ii. Level 1: Similarities above 10% to 40% - Such a student shall be asked to submit a revised script within a stipulated period not exceeding 6 months.

iii. Level 2: Similarities above 40% to 60% - Such a student shall be debarred from submitting a revised script for one year.

iv. Level 3: Similarities above 60% -Such student registration for that programme shall be cancelled.

Note 1: Penalty on repeated plagiarism- Such a student shall be punished for the plagiarism of one level higher than the previous level committed by him/her. In cases where plagiarism of the highest level is committed then the punishment for the same shall be operative.

Note 2: Penalty in case where the degree/credit has already been obtained - If plagiarism is proved on a date later than the date of award of degree or credit as the case may be then his/her degree or credit shall be put in abeyance for a period recommended by the IAIP and approved by the Head of the Institution.

10.2 Penalties in case of plagiarism in academic and research publications

I. Level 0: Similarities up to 10% - Minor similarities, no penalty.

II. Level 1: Similarities above 10% to 40%

i) Shall be asked to withdraw the manuscript.

III. Level 2: Similarities above 40% to 60%

i) Shall be asked to withdraw the manuscript.

ii) Shall be denied a right to one annual increment.

iii) Shall not be allowed to be a supervisor to any new Acharya, Shikshacharya, or Vidyavaridhi Student/scholar for two years.

IV. Level 3: Similarities above 60%

i) Shall be asked to withdraw the manuscript.

ii) Shall be denied a right to two successive annual increments.

iii) Shall not be allowed to be a supervisor to any new Acharya, Shikshacharya, or Vidyavaridhi Student/scholar for three years.

सत्यापित VERIFIED

Note 1: Penalty on repeated plagiarism - Shall be asked to withdraw manuscript and shall be punished for the plagiarism of one level higher than the lower level

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

डा. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

committed by him/her. In case where plagiarism of the highest level is committed then the punishment for the same shall be operative. In case the level 3 offence is repeated then the disciplinary action including suspension/termination as per service rules shall be taken by the Vice-Chancellor, SLBSNS University.

Note 2: Penalty in case where the benefit or credit has already been obtained - If plagiarism is proved on a date later than the date of benefit or credit obtained as the case may be then his/her benefit or credit shall be put in abeyance for a period recommended by IAIP and approved by the Vice-Chancellor, SLBSNS University.

Note 3: SLBSNS University shall create a mechanism to ensure that each paper publication/thesis/dissertation by the student, faculty, researcher or staff of the SLBSNS University is checked for plagiarism at the time of forwarding/submission.

Note 4: If there is any complaint of plagiarism against the Vice-Chancellor, SLBSNS University, a suitable action, in line with these regulations, shall be taken by the Visitor of the SLBSNS University.

Note 5: If there is any complaint of plagiarism against the Head of Department/Authorities at the institutional level, a suitable action, in line with these regulations, shall be recommended by the IAIP and approved by the Competent Authority.

Note 6: If there is any complaint of plagiarism against any member of DAIP or IAIP, then such member shall excuse himself/herself from the meeting(s) where his/her case is being discussed/investigated.

11. Awareness Programs and Training:

(a) SLBSNS University shall instruct students, faculty, researchers and staff about proper attribution, seeking permission of the author wherever necessary, and acknowledgement of sources compatible with the needs and specificities of disciplines and under rules, international conventions and regulations governing the source.

(b) SLBSNS University shall conduct sensitization campaigns, seminars/ awareness programs/workshops every semester on responsible conduct of research, thesis, dissertation, and promotion of academic integrity and ethics in education for students, faculty, researchers and staff.

सत्यापित
VERIFIED

(c) SLBSNS University shall:

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

i. Include the cardinal principles of academic integrity in the curricula of Shastri (UG)/Acharya (PG)/Master's degree (M.A.), Shiksha Shastri (B.Ed.), Shikshacharya (M.Ed.), etc. as a compulsory course work/module.

ii. Include elements of responsible conduct of research and publication ethics as a compulsory course work/module for Masters and Research Scholars.

iii. Include elements of responsible conduct of research and publication ethics in Orientation and Refresher Courses organized for faculty and staff members of the SLBSNS University.

iv. Train students, faculty, researchers and staff in using plagiarism detection tools and reference management tools.

v. Establish a facility equipped with modern technologies for the detection of plagiarism.

vi. Encourage students, faculty, researchers and staff to register on the International Researcher's Registry systems.

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय
DR. RAJESH KUMAR PANDEY
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
नई दिल्ली-110016 / New Delhi-110016

Research Promotion Incentive Policy

(Approved in the meeting of Central Research Board held on 25.07.2023)

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University

B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi, Delhi 110016

सत्यापित
VERIFIED

25/7/23

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

CONTENT

SN	Description	Page No.
1.	Preamble	3
2.	Objective of Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University	3
3.	Powers of SLBSNSU regarding research	3
4.	Concerns of Research Policy Document	3
5.	Objectives of the Research Policy Document	4
6.	The Broad Areas of Research	5
7.	Priorities and Thrust Areas for Research	6
8.	Schools and Departments for Research (Masters/Doctoral/Post-Doctoral Research)	7
9.	Central Research Board	8
10.	Department Research Committee	9
11.	Research Advisory Council	9
12.	Research Advisory Committee	9
13.	Implementation Mechanism of Research Policy	10
14.	Code of Ethics for Research	11
15.	Agreements/MoUs/LoAs	12
16.	Responsibilities of Faculty Members as Research Supervisor	12
17.	Responsibilities of Research Scholars	12
18.	Process and Procedures for Conducting Research leading to a Degree	12

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

Preamble

- According to the preamble of Central Sanskrit University Act 2020, Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, Delhi pursues to establish and to incorporate for quality teaching and research in Sanskrit, and to develop the all-inclusive Sanskrit promotional activities, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. **(CSU Act 2020, Preamble, p. 1).**
- Over the years, since 1962 started as institute, through its research initiatives in Sanskrit Shastras, Language and allied fields, the SLBSNSU has made consistent contributions to *promotion of Sanskrit Language and Sanskrit Education*. The significant role of SLBSNSU reflects in its research and extension activities aiming at promotion and preservation of highly enriched systems of *Indic knowledge including manuscriptology.*
- Quality research conducted at SLBSNSU resulted in numerous publications of books and journals. These publications are recognized as very advantageous and relevant to access and to disseminate the most ancient knowledge of India.

Objective of Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University

According to CSU Act 2020, the objective of SLBSNSU regarding research shall be:

- To disseminate and to access knowledge by providing instructional, research and extension facilities to the promotion of Sanskrit Language and such other branches of learning as it may deem fit.
- To take appropriate measures for promoting innovations in teaching-learning process and inter-disciplinary studies and research; to educate and train manpower for the overall development, promotion, preservation, and research in the field of Sanskrit and Sanskrit traditional subjects. **(CSU Act 2020, Para 5, p. 4)**

Powers of SLBSNSU regarding research

The University shall have the following powers:

- To provide for instructions in such branches of learning including Sanskrit and Sanskrit traditional subjects, as may be specified in the Statute, or as may be determined by the University, from time to time, and to make provisions for research and advancement and dissemination of knowledge. **(CSU Act 2020, Para 6 (1) (i), p. 5)**
- To make provision for research and consultancy or advisory services, and for that purpose, to enter into such arrangements with other Universities, Institutions, or bodies, as the University may deem necessary. **(CSU Act 2020, Para 6 (1) (i), p. 5)**
- To promote inter-facial research by making joint appointments of teaching staff in different Schools and Departments **(CSU Act 2020, Para 6 (1) (iii), p. 5)**
- To exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, co-ordination of teaching among the Colleges and the Institutions, evaluation of research and improvement of academic standards. **(CSU Act 2020, Para 14 (a), p. 24)**
- To form the measures for improvement of standards of teaching, training, and research. **(CSU Act 2020, Para 5, p. 4)**
- To determine the area of excellence of the University and identify the thrust areas for research. **(CSU Act 2020, Para 16 (ii), p. 25)**

Concerns of Research Policy Document

- The pursuit of excellence and relevance in research at SLBSNSU yields results. Therefore, in order to conduct the research to the highest of standards, the research policy document

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

25/7/23

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

offers guidelines on virtuous and righteous research practices.

- The research policy document intends to establish a favorable research culture and ecosystems by forming specialized research groups that meet worldwide standards.
- The document also prioritizes using the research's findings for the good of learning global society.
- The document initiates and fosters a research culture that adheres with academic standards and ethics.
- The document aims at fostering detailed research activities and offer a strategy pertaining the research objectives.
- The document facilitates to implement theoretical knowledge (Praṇāmas) into the outcomes (Pariṇāmas), and the document illuminates the paths for the research based on application of theories.
- The document seeks the other government and non-government funding agencies to collaborate and to enhance the research projects.
- The document promotes the research based on Indian Research Methodology.
- The document explores new dimensions of Bharatiya Shastras and promotes the criticism of colonial interpretations of Bharatiya Shastras.

Objectives of the Research Policy Document

- To increase the institutional capacity for planning, budgeting, and controlling of all university research activities at strategic, technical, and operational levels.
- To establish and manage an adequate *research fund to aid in and to facilitate the research projects and initiatives of faculty members and students.*
- To introduce policies, methods, and standards for *allocating funding for research*, establishing awards, and assisting with all other relevant operations.
- To provide a method for properly coordinating all research efforts at the university and to bring them in line with their objectives and visions as well as with goals for international development.
- To introduce and to maintain the university's research agenda, which outlines the preferred areas of emphasis and the top priority for financed research projects.
- To support faculty members in their efforts to integrate research projects into the regular delivery of the curriculum and its enrichment.
- To guide faculty members in the effective integration research projects with the regular curriculum implementation and curriculum enrichment activities.
- To promote interdisciplinary research and establishing modalities for preparing and to undertake joint research projects covering more than one knowledge domain as well as policies for involving external agencies/experts in such projects.
- To identify and to establish linkages *including MoUs/LoAs for long-term relationships with national and international research organizations* for widening the scope of research opportunities and funding options available to the teachers and students at the university.
- To encourage and to facilitate the publication of the research work/projects in reputed academic journals.
- To provide mechanism to ensure that academic staff attain the desired mix of teaching, research, and consultancy outputs so as to achieve the level stated in the university mission.
- To prepare and to implement research quality assurance mechanism for ensuring that all research activities of the University conform to standard quality specifications.
- To develop and to administer rules and procedures to ensure the compliance of all researchers to the research quality assurance framework, the research code and all the applicable rules and regulations.

Prof. Shiv Shankar Mishra
Head, Department of Research
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

The Broad Areas of Research

1. Research Projects

- The provisions regarding "**Seed Money**" will stimulate competitive research project in crucial areas of national or international importance. The grants of Seed Money will promote innovative ideas, knowledge, and facilitate the start of research projects which will also potentially develop the sources of their own through external funding.
- The infrastructure which includes *facilities, resources and services will be provided by SLBSNSU for research project.* The provisions will be designed to conduct research projects and to foster innovation in the field of Sanskrit and Sanskrit Education.
- Administrative support will be provided by SLBSNSU to facilitate the research incentive and research projects.

2. Research Publications

- The University will promote the *print and online publication* of quality journals in the fields of Sanskrit and other allied disciplines.
- The University will also *financially support* the republication of published rare publications of established scholars and authors.
- The University will stimulate, energies, and encourage the faculty members to publish the *quality research papers in high indexed quality journals.*
- The University will exclusively appreciate, support, and sustain the interdisciplinary and multidisciplinary research publication which possesses the scientific research methodologies, and produces the specific outcomes.

3. Intellectual Property Rights (IPR)

- Under the broad theme '**Creative India, Innovative India**' accepted by Government of India, the policy will stimulate a dynamic, vibrant, and balanced **intellectual property rights system** in university. The policy document will foster creativity and innovations, and promote entrepreneurship and enhance socio-economic and cultural development, and to focus on enhancing access to Sanskrit Knowledge Traditions and other sectors of vital social, economic, and technological development.
- The University will ensure that intellectual property rights are the legal rights given to researcher over the creations of her/his mind. The researcher will be given the exclusive rights over the use of his/her creation for a certain period of time.
- The University will sustain a critical ecosystem which is critical to foster innovations. Without protection of ideas, research would not reap the full benefits of inventions and would focus less on research and development.

4. Manuscripts Repository

- The Sharing, collecting, purchasing, digitizing, and acknowledging the manuscripts resulting as IPRs and patents - all these pursuits will be performed in SLBSNSU.
- The *preservation and protection of Manuscripts* will be the main concerns as per the Protection Rules.
- The Manuscripts will be *electronically digitalized*, and available for researchers and faculty members on payment mode.
- The manuscripts will be collected and preserved by the fund allocated by university.

5. Research in Different Programmes

- The University is committed to promote the quality research in various programmes offered by university at different levels i.e., at Under-Graduate, Post-Graduate, Doctoral and Post-Doctoral levels *has provision of allocating the portion of amount generated from internal resources.*
- *The University provides financial assistance to the research projects, book writing and research paper publication.*
- *The University invests some amount of money for the promotion of research from the internal resources which have generated by the university itself.*

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

23/7/23

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

- The University have the detailed guidelines for the above-mentioned programmes to ensure the quality in research.
- The guidelines will be prepared as per the directions of UGC and other regulatory bodies.

Priorities and Thrust Areas for Research

- The SLBSNSU will identify the priorities and thrust areas of research in consultation with the respective various institutional committees, and other concerned councils. The priorities and thrust areas of research need to be conducted systematically along with the details of facilities, availability of funding/scholarship/incentives/fellowships and infrastructure available for undertaking research in these areas.
- The SLBSNSU will priorities the research regarding **Research Projects, Publications, Intellectual Property Rights (IPR), and Manuscripts Repository.**
- The following are the priorities, thrust areas and subjects to review from time to time:

1. **Manuscripts Editing and Preparation of Critical Editions**
   - Critical editing under editing principles and rules.
   - Critical Review of published and unpublished manuscripts.
   - Preparation of critical edition of a single available manuscript.
   - Special editions with translation in Sanskrit, Hindi, English and other language.
2. **Indian Knowledge Traditions and their Application**
   - Research on contemporary problems, challenges, and issues in the context of most enriched traditions of Indian Knowledge.
   - Some Research related to Indian Knowledge Traditions are expected as Scientific and fundamental research engaging in different areas leading to new theories.
   - Research focusing on correlative studies with these concerns and domains of Indian Knowledge Traditions.
   - Research dealing with ancient history, archaeology, museology, Vedic agriculture, traditions of medicines, healthcare, and so on are the top priorities of SLBSNSU.
   - **Any theme related with other Shastric discipline** - Interdisciplinary and multidisciplinary research on allied branches of Sanskrit Knowledge System.
   - **Critical discourse analysis of Sanskrit Language** - Analysis of Sanskrit Language with other Indian and foreign languages which is based on growing interdisciplinary research movement
   - **Information and Communication Technology based Themes and Areas** - Computational Linguistics and Traditional Studies, Natural Language Processing, Technological Experiments based Research, i.e., development of technological resources for teaching of Sanskrit,

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

Development of Tools, and Software for learning and optimum utilisation of Sanskrit Knowledge System.

3. **Review of Criticism of Indian Knowledge Traditions**
   - Review of Indian Shastric Literature.
   - Criticism of prior publications and propagations by modern commentators and Scholars.
4. **Historical, Descriptive and Experimental Research**
   - The main focus of educational research should be on National Education Policy 2020. The areas for educational research may be accepted as National Curriculum Framework, New Curricula, Pedagogical Experiments, and enhancement of Sanskrit Teaching-Learning Practices, which are directly interconnected with National Education Policy 2020.
   - The educational research must deal with new paradigm shifting towards medium of mother language and its impact on teaching-learning practices that also result in new possibilities and innovations in Sanskrit Education.
   - The historical educational research should deal with ancient Indian history and educational systems of India. The qualitative research methodology should be adopted to study these educational phenomena.
   - The descriptive survey-based research focused the trends, challenges, problems, and issues of Sanskrit and Sanskrit Education to understand the cross-cutting socio-cultural aspects.
   - The experimental educational research should deal with teaching methodologies, especially the Indic methods to teach humanities and science subjects. Similarly, some studies to develop Indian research methodologies should be encouraged, recommended, and endorsed.

Schools and Departments for Research (Masters/Doctoral/Post-Doctoral Research)

1. **School of Veda-Vedang (Deda,** Paurohitya, Dharmshastra, Vyakarana, Jyotish and Vastushastra
2. **School of Darshan** (Nyaya, Shankhya Yoga, Jain Darshan, Yoga, Sarva Darshan, Mimansa, Vishista Advait Vedant, Advait Vedant)
3. **School of Sahitya & Sanskrit** (Sahitya, Puranetihas, Prakrit)
4. **School of Adhunik Vishya** (Manviki, Adhunik Gyan, Research, Hindu Studies)
5. **School of Education** (Shikshashastra)
6. **School of Puran Vidya**

In specific case of research, the school other than university may be approved with collaborating institutions based on MoUs.

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

Central Research Board

The research proposal submitted by each researcher will be supervised, test of the researcher's presentation through interview and recommendation of registration for research work will be done by the research team, which will be constituted of the following members:

i.	The Vice-Chancellor	Chairman
ii.	Dean (Academic)	Member
iii.	Dean of all Schools	Member
iv.	Head of Departments	Member
v.	In addition to the Dean & HOD, other members (not more 5 members)	Member
vi.	Nominated 4 members of other subjects by the Vice-Chancellor	Member
vii.	Nominated External Experts from other Universities/Institutions Member by the Vice-Chancellor	Member
viii.	Head of Department (Research)	Member, Secretary

Roles and responsibilities of Central Research Board

- To prepare research policy documents of the University.
- To prepare scope of research, which will include major & minor projects, consultancy or any other research activities as may be assigned by the Academic Council.
- To review the research proposals and finalize the topic of research.
- To prepare a perspective of research and major thrust areas for research, if any, in the disciplines under its purview.
- To evaluate institutional research programmes for funding by the University or by national/international agencies.
- To conduct and promote inter-disciplinary and multi-disciplinary research works/ programmes and avail/arrange funding thereof at University/National/International level.
- To review the current status of research in each department and also evaluate any kind of funding and progress thereof in the course of research and critically examine the progress from time to time.
- To indicate the priority areas of research in the departments particularly with reference to the role and responsibility of the University and considering the facilities available in the University and also create facilities wherever necessary in keeping with the major thrust areas accepted for the concerned Departments and individual interest of the members of the faculty.
- To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council.
- In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Board shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If, the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Board may recommend specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

Provisions for Central Research Board

- The Central Research Board shall meet regularly at least twice a year.
- The members shall form quorum for a meeting of the Central Research Board.
- To perform such all other duties and functions as may be prescribed by the Regulations.
- In any sort of discrepancies or issues with these clauses above, the Vice Chancellor shall have the power to resolve the matters.

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

25/7/23

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

Department Research Committee (DRC)

In each Department of the University, academic matters related to the Ph.D programme shall be supervised by the Department Research Committee consisting of the following members:

i. Head of the Department: Chairperson (ex-officio)
ii. All the Professors of the Department, (ex-officio)
iii. Associate Professors in the Department, subject to a maximum of two, by rotation according to the seniority;
iv. Two Assistant Professor in the Department, qualified to be Research (Ph.D) Supervisor (s), by rotation to the seniority;
v. One external expert to be called by the Head of Department out of the panel drawn by the BOS.

Where a department has a strength of less than 10 teachers, all faculty members eligible to be research (Ph.D). Supervisors shall be members of the DRC. The term of the members of DRC, except the ex-officio members shall be for two years. At least, 50% of the members shall be required to be present in the meeting to form the quorum with the presence of the Chairman or his/her representative as mandatory. Where no teacher in the department is eligible to be the Head, the Teacher-In-Charge, if eligible to be Research (Ph.D) Supervisor, shall convene the meetings of the DRC, failing which the members of the DRC may elect one of the members.

Research Advisory Council

- As per the document of UGC regarding Research & Development, the Research Advisory Council is constituted chaired by Vice Chancellor, which is equivalent to Central Research Board.
- Whereas Research & Development Cell is to be constituted having following committees:

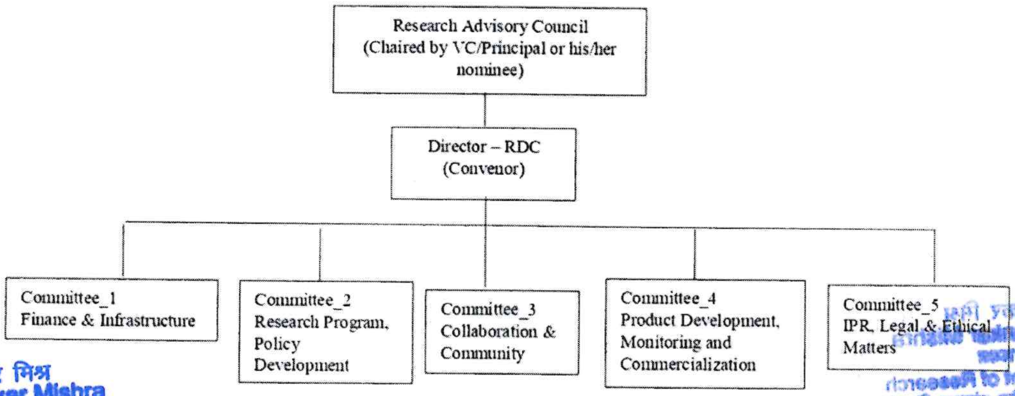

Research Advisory Committee

There shall be Research Advisory Committee or an equivalent body for similar purpose for each Ph.D scholar. The research supervisor of the scholar shall be the convener of this Committee. This committee shall have the following responsibilities:

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

23/3/23

(i) To review the research proposal and finalize the topic of research.

(ii) To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify courses that he/she have to do.

(iii) To periodically review and assist in the program of the research work of the research scholars.

(iv) A research scholar shall appear before research advisory committee once in six months to make a presentation of progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthaly progress report shall be submitted by the research advisory committee to the university with a copy to the research scholar.

(v) In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the research advisory committee shall record the reason for the same and suggest correctly measures. If the research scholars fail s to implement these corrective measures, the research advisory committee may recommended with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

Research Advisory Committee (RAC) for Vidyavaridhi (Ph.D.)

Constitution of the Research Advisory Committee shall consist of the following members at Headquarter and Campus/affiliated institute level:

- Supervisor (Convener)
- One member to be nominated by Head/TIC (Out of the panel of three names to be proposed by the convener) (Member)
- One member to be nominated by Dean of concerned school/ Member Director Research (Out of the panel of three names to be proposed by the convener) (Member)

Implementation Mechanism of Research Policy

The Central Research Board of the University shall be responsible for implementing this research policy document by working closely with the university management, and other committees at various levels. The Head of Research will determine the implementation of the policy document. There are some mechanisms to implement the policy as following:

- To facilitate the faculty members in undertaking research and to work with the university management to set up a research fund for providing seed money.
- To collaborate with institutions working in the field of Indian Knowledge Heritage/ Traditions/System.
- To re-project the published and established research work as per contemporary needs of global knowledge society.
- To seek and attain the guidance, support and supervision of scholars though not belonging to any disciplinary field of education yet possessing the wealth of knowledge by lifelong practices.
- To interpret and establish the original meaning of Shastras and their knowledge, rectifying and criticising the present misinterpretation of the same done by the western scholars and historians or the eastern scholars and historians with colonial approach.
- To provide research facilities in terms of laboratory equipment, research journals and research incentives etc. required by the faculty members.
- To encourage and to promote a research culture (e.g., teaching workload remission, opportunities for attending conferences etc.).
- To provide the academics with the research facilities they need, such as the lab tools, research publications, and research incentives, etc.

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

- To motivate the faculty to conduct research through partnering with other research organizations/industry.
- To establish appropriate methods for recognising research that has served as a guide.
- To facilitate the development of certain research units or centres by funding organisations or universities.
- To encourage a research culture in university through organising workshops, training sessions, and awareness-raising campaigns.
- To create budgets to help students with their research assignments.

Code of Ethics for Research

- All students pursuing research in SLBSNSU are expected to maintain high standards of integrity, honesty, and professionalism in respect of all the work undertaken by them.
- SLBSNSU follows the UGC regulations regarding plagiarism and malpractice in research as vividly mentioned in Code of Ethics to check Malpractices and Plagiarism.
- Before submitting the research work for Shikshacharya (M.Ed.)/Vidyavaridhi (Ph.D.)/ Vidyavachaspati (D.Litt.), the research work will be checked by concerned professional for plagiarism and other malpractices. Regarding thesis submission, each student can avail the facility in the campuses for plagiarism thorough software as central government funded and recommended initiative.
- **Specific Conditions for Review** – improper research methodology, grammatical errors, lack of explanation/description, improper citation and referencing etc. and as per directions provided by Research Advisory Committee. **Specific Conditions of Rejection** – violation of code of ethics, Malpractices and Plagiarism, Reproduction of previous research work, Fabrication and Falsification etc. and as per directions provided by Research Advisory Committee.

Research Misconduct

- It can be defined as any breach of the Code of Practice for Research. Research misconduct may be defined as fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research results.
- **Fabrication** means making up data or results and recording or reporting them.
- **Falsification** means manipulating research materials, equipment or processes or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record.
- **Plagiarism** means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own.
- Research Misconduct does not include unintentional error or professional differences in interpretation or judgment of data. For the avoidance of doubt, misconduct in research includes acts of omission as well as acts of commission.

Anti-Plagiarism Policy:

- The University Grants Commission, New Delhi has published a draft regarding promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutions regulations 2022. In view of the same, SLBSNSU frames the policy for prevention of plagiarism. The research work shall be verified through the anti-plagiarism software tool "**Drillbit**" as prescribed by the university. It is the responsibility of all research students, research guides, the faculty members, and staff of this university to read and understand the policy on plagiarism as vividly mentioned in Code of Ethics to check Malpractices and Plagiarism.

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी–४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

28/7/23

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

Agreements/MoUs/LoAs

- By entering into research-initiated Memorandum of Understanding (MoU) and Letter of Authorization (LoA) with central and state universities, other Higher Education Institutions, Research Institutes, and research councils of India and abroad, SLBSNSU will create an ease of doing collaborative understanding to promote and propagate the Sanskrit Shastras and Language.
- SLBSNSU will initiate the persuasion for MoU and LoA with other central and state universities, other Higher Education Institutions, Research Institutes, and research councils.
- All MoU/LoAs signed with other universities, institutes and educational institutions will adhere to the vision, mission, and objectives of SLBSNSU.

Responsibilities of Faculty Members as Research Supervisor

- To carry out SLBSNSU's research policies and programmes effectively, faculty members along with their research scholars will be guaranteed certain freedoms. Faculty members have the right to academic freedom in the pursuit and support of research as it positively accelerate the innovation, research and development.
- All faculty members of the SLBSNSU have the right to perform the experiments, surveys, contact sessions, external consulting activities, meetings, and collaborative activities as per the recommendations of Research Advisory Committee. It's important that all faculty members adhere to this research policy.
- Faculty members must be aware of their obligations to staff and students working as part of the research team. It is particularly important that at least annually, each faculty member should review the progress and present status of own research work.
- On an individual level, the best interests of each faculty member and student should be of particular concern. The SLBSNSU is committed to demonstrate support and appreciation for its faculty members and research scholars.

Responsibilities of Research Scholars

- All research scholars will be committed towards the Vision and Missions of SLBSNSU which primarily deals with promotion and propagation of Sanskrit Language, Literature and Education in the light of Indian Knowledge System.
- All researchers must be attentive about the quality publication of Minimum two research papers which should be published in UGC CARE/listed Journals, Refereed or Peer Reviewed Journals.

Process and Procedures for Conducting Research leading to a degree

The processes and procedures regarding research at every level in SLBSNSU will be regulated as per the guidelines and regulations of UGC and further as per the directions of Higher Education Commission of India. All the aspects related to research including research policy, qualifications of research supervisor and co-supervisor, duration of research work, governing board and committees of research, curriculum and course work for research, roles and responsibilities of officers associated with research work, rules and guidelines for selecting and conducting a research work, etc. are the subjects to modify, to come into effect and to repeal, as per the latest rules and regulations of UGC, and other regulating bodies.

Course Works

- Course work will be mandatory and available as semester mode twice in a concerned year. A research scholar can opt according to his/her socio-educational situations.
- For the 2nd Ph.D. Applicant having previous research with course work as per the UGC Rules and Regulations, there is relaxation from Course Work. Such research

प्रो. शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
Qutub Institutional Area, New Delhi-110016
सत्यापित
VERIFIED
25/7/23
कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

scholar will complete a set of reading and specific assignments given by the Research Advisory Committee.

- Candidates already holding M.Phil. degree and admitted to the Ph.D. programme, or those who have already completed the course work in M.Phil. and have been permitted to proceed to the Ph.D. in an integrated course, may be exempted by the University from the Ph.D. course work.

  The University offers the course work in two ways, that is either conventional mode or reading/practice mode. Only a researcher doing an interdisciplinary and multidisciplinary research can be allowed for reading/practice mode of course work on recommendations of Research Advisory Committee and with the approval of Vice Chancellor of SLBSNSU.
- Minimum number of the credit requirement for the course work under Ph.D. programme should be at least 12 credits and a maximum of 16 credits.
- A research scholar will apply first for provisional admission. First six months are scheduled to course work, then next six months are for the following aspects regarding to research proposal – Purposes/Objectives of Research, Area/Theme of Research, Review of Related Literature, Identification of Research Problem, and Research Proposal. After one year, the progress of a research scholar will be assessed by the Research Advisory Committee. On the recommendations of Research Advisory Committee, admission will be confirmed.

Medium of Research Thesis

- *The medium of the research work will be Sanskrit*, which can be typed only in Unicode fonts (Mangal/Aparajita/Kokila) and in Devanagari script.
- Use of Simple Standard Sanskrit is advised.
- For the subject matter like interdisciplinary and multidisciplinary areas, *Ph.D thesis can be also submitted in other medium of languages (Hindi, English)*

Notwithstanding anything contained in the research policy document, the Vice Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties and to resolve any other extra ordinary issues.

सत्यापित
VERIFIED

कुलसचिव / Registrar
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

प्रो॰ शिवशंकर मिश्र
Prof. Shiv Shankar Mishra
शोधविभागाध्यक्ष
Head, Department of Research
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016